पंचम अध्याय

ध्वनिलेखागार की मर्यादायें एवं निवारक उपाय

पंचम अध्याय

5. ध्वनिलेखागार की मर्यादायें एवं निवारक उपाय

पुरालेख मानव गतिविधि के दस्तावेजी उपोत्पाद हैं जिन्हें उनके दीर्घकालिक मूल्य के लिए बनाए रखा जाता है। व्यक्तियों और संगठनों के रोजमर्रा के जीवन और कार्यों के दौरान बनाए गए रिकॉर्ड पिछली घटनाओं में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लोगों की तरह, अभिलेख भी विविध हैं। वे टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियो, ध्वनि, एनालॉग और डिजिटल सहित विभिन्न स्वरूपों में आते हैं। दुनिया भर में अभिलेखागार व्यक्तियों और संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) के पास होते हैं, जिन इमारतों में वे स्थित हैं उन्हें अक्सर 'अभिलेखागार' का नाम दिया जाता है। पुरालेखों पर सार्वभौम घोषणा के अनुसार , पुरालेख एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित एक अद्वितीय और अपूरणीय विरासत हैं। पुरालेखों को उनके मूल्य और अर्थ को संरक्षित करने के लिए सृजन से प्रबंधित किया जाता है। वे जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासनिक कार्रवाइयों को रेखांकित करने वाली जानकारी के आधिकारिक स्रोत हैं। वे व्यक्तिगत और सामुदायिक स्मृति की सुरक्षा और योगदान करके समाज के विकास में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अभिलेखागार तक खुली पहुंच मानव समाज के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती है।

एक ध्वनिलेखागार एक सूचना पेशेवर होता है, जो दीर्घकालिक मूल्य के लिए निर्धारित अभिलेखों और अभिलेखागारों, ध्वनिसंग्रह का मूल्यांकन, संग्रह, आयोजन, संरक्षण, नियंत्रण बनाए रखता है और उन तक पहुंच प्रदान करता है। एक पुरालेखपाल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में कई प्रकार के रूप शामिल हो सकते हैं, जिनमें पत्र, डायरी, लॉग, अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज़, सरकारी दस्तावेज़, ध्वनि और/या चित्र रिकॉर्डिंग, डिजिटल फ़ाइलें, या अन्य भौतिक वस्तुए शामिल हैं।

रिचर्ड पीयर्स-मूसेस के अनुसार- पुरालेखपाल उन अभिलेखों को रखते हैं जिनका अतीत की विश्वसनीय यादों के रूप में स्थायी मूल्य होता है, और वे लोगों को उन अभिलेखों में आवश्यक जानकारी ढूंढने और समझने में मदद करते हैं।[1]

1. Millar, Dr. Laura A./Archives: Principles and Practices/Page 12

यह निर्धारित करना कि कौन से रिकॉर्ड का स्थायी मूल्य है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुरालेखपालों को भंडारण और संरक्षण की लागत के साथ-साथ व्यवस्था, विवरण और संदर्भ सेवा के श्रम-गहन खर्चों को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मूल्यवान रिकॉर्ड का भी चयन करना चाहिए।

पुरालेख प्रथाओं को रेखांकित करने वाले सिद्धांत और विद्वतापूर्ण कार्य को पुरालेख विज्ञान कहा जाता है । सबसे आम संबंधित व्यवसाय लाइब्रेरियन , संग्रहालय क्यूरेटर और रिकॉर्ड प्रबंधक हैं । पुरालेखपाल का व्यवसाय पुस्तकालयाध्यक्ष से भिन्न होता है। दोनों व्यवसायों में प्रशिक्षण के अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग-अलग और विशिष्ट सिद्धांतों का पालन किया जाता है, और अलग-अलग पेशेवर संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है । सामान्य तौर पर, लाइब्रेरियन प्रकाशित मीडिया से निपटता है (जहां मेटाडेटा , जैसे लेखक, शीर्षक और प्रकाशन की तारीख, आसानी से स्पष्ट हो सकती है और मानकीकृत रूप में प्रस्तुत की जा सकती है), जबकि पुरालेखपाल अप्रकाशित मीडिया से निपटता है, जिसमें विभिन्न चुनौतियाँ जैसे कि मेटा-डेटा हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता है, जिसमें जटिलताएँ और विविधता होती है, और उद्गम पर निर्भर होने की अधिक संभावना होती है ।[1]

सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट्स (SAA) यह भी नोट करती है कि दोनों पेशे सामग्री को संरक्षित, एकत्रित और सुलभ बनाते हैं, लाइब्रेरियन अक्सर "घिसी-पिटी या खोई हुई किताबों की नई प्रतियां" प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अभिलेखीय संग्रह में रिकॉर्ड अद्वितीय और अपूरणीय होते हैं। पुस्तकालयों और अभिलेखागारों को उनके द्वारा रखी गई सामग्रियों और संरक्षकों द्वारा उन तक पहुंचने के तरीके के आधार पर अलग करता है।

क्योंकि अभिलेखीय रिकॉर्ड अक्सर अद्वितीय होते हैं, पुरालेखपाल सूचना वाहक (यानी भौतिक दस्तावेज़) के संरक्षण और संरक्षण के साथ-साथ इसकी सूचनात्मक सामग्री के बारे में भी उतने ही चिंतित हो सकते हैं। इस अर्थ में, पुरालेखपाल की लाइब्रेरियन की तुलना में संग्रहालय क्यूरेटर के साथ अधिक समानता हो सकती है संग्रहालय के क्यूरेटर और पुरालेखपाल कभी-कभी अपने कर्तव्यों में ओवरलैप करते हैं, लेकिन क्यूरेटर अक्सर त्रि-आयामी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, जबकि पुरालेखपाल कागज, इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य-श्रव्य रिकॉर्ड से निपटते हैं। फिर भी, अभिलेखीय चयन कभी-कभी संग्रहालयों में प्रदर्शित किए जाते हैं ।

1 . शर्मा, डॉ. विश्वनाथ "आर्काइव और प्रबंधन" पृष्ठ 56

पुरालेखपाल के व्यवसाय को भी अक्सर अभिलेख प्रबंधक के व्यवसाय से अलग किया जाता है , हालांकि इस मामले में अंतर कम निरपेक्ष है: पुरालेखपाल मुख्य रूप से स्थायी संरक्षण के योग्य समझे जाने वाले अभिलेखों से चिंतित है, जबकि अभिलेख प्रबंधक वर्तमान प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों से अधिक चिंतित है। सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट्स अतिरिक्त रूप से नोट करता है कि इतिहासकारों और पुरालेखपालों के बीच लंबे समय से साझेदारी है, क्योंकि पुरालेखपाल अभिलेखों को संरक्षित, पहचान और सुलभ बनाते हैं, जबकि इतिहासकार उन अभिलेखों का उपयोग अपने शोध के लिए करते हैं। [1]

5:1 ध्वनिलेखागार की मर्यादायें-

ध्वनिलेखागार एक महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो संगीत और संगीत संस्कृति की धरोहर को संरक्षित रखते हैं। ये संग्रहण स्थल संगीत के विभिन्न रूपों, गायकों, संगीतकारों, और संगीत संवादिताओं के इतिहास को दर्शाते हैं। लेकिन, इन आर्काइव्स में कई मर्यादायें होती हैं जो इसकी निकटता को प्रभावित करती हैं। जैसे

संग्रहण की मर्यादायें - कुछ संगीत आर्काइव्स विशिष्ट संगीतिक प्रदर्शन, लोकेशन, या कलाकारों की सीमा में होते हैं। इसके अलावा, कुछ आर्काइव्स केवल विशिष्ट समय या स्थान के लिए ही उपलब्ध होते हैं, जिससे विशेष गणकों को उनकी मर्यादायें को सामना करना पड़ता है।

उपलब्धता की मर्यादायें कुछ संगीत आर्काइव्स में संगीत का अनुपस्थिति या पुराने तकनीकी प्रणालियों के कारण उपलब्ध नहीं होता है। इससे विशेष गणकों को उनके पहुंच में समस्याएँ होती हैं। तृतीय सीमा है संरक्षण की समस्याएं। संगीत आर्काइव्स के संरक्षण और उनकी देखभाल की समस्याएं हो सकती हैं, जिससे अवशोषित या नष्ट होने का खतरा होता है।

पहुंच की समस्याएं-कुछ लोगों के लिए संगीत आर्काइव्स तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है

भाषा की मर्यादायें-कुछ संगीत आर्काइव्स केवल एक भाषा में होते हैं, जिससे अन्य भाषाओं के लोगों को पहुंचने में समस्या हो सकती हैं।

डाटा संगठन की समस्याएं- बड़े संगीत आर्काइव्स में संगीत का डाटा संगठित करन की समस्या हो सकती है, जो खोज और उपयोग को कठिन बना सकती है। अधिकतम रूप से, ये मर्यादायें संगीत आर्काइव्स की पहुंच और उपयोगिता को प्रभावित कर सकती हैं, और इस प्रकार उसके महत्व को कम कर सकती हैं। इसलिए, संगीत आर्काइव्स की मर्यादायें को समझकर उन्हें हल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

1. Wilsted, Thomas /Managing Archival and Manuscript Repositories/ Page 78

अंग्रेजी शब्द आर्काइव "ɑːrkaɪ v" फ्रांसीसी आर्काइव्स (बहुवचन) से लिया गया है, और बदले में लैटिन आर्कियम या आर्किवम से , ग्रीक "ἀρχεῖον" (आर्कहेयोन) का रोमनकृत रूप है। 'आर्काइव' शब्द ग्रीक शब्द 'आर्किया' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सार्वजनिक अभिलेख' जिसमें महत्वपूर्ण आधिकारिक राज्य दस्तावेज़ दाखिल और व्याख्या किए जाते थे; वहां से इसका अर्थ " टाउन हॉल " और " सार्वजनिक रिकॉर्ड " जैसी अवधारणाओं को शामिल करने के लिए व्यापक हो गया।[1]

आर्काइव शब्द को पहली बार अंग्रेजी में 17वीं सदी की शुरुआत में और आर्काइविस्ट शब्द को 18वीं सदी के मध्य में प्रमाणित किया गया था, हालांकि इन अवधियों में दोनों शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर केवल विदेशी संस्थानों और कर्मियों के संदर्भ में किया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक इनका घरेलू संदर्भों में व्यापक रूप से उपयोग शुरू नहीं हुआ था।

किसी भी लेखागार में प्राथमिक स्रोत दस्तावेज़ होते हैं जो किसी व्यक्ति या संगठन के जीवनकाल के दौरान जमा होते हैं, और उस व्यक्ति या संगठन के इतिहास और कार्य को दिखाने के लिए रखे जाते हैं। पेशेवर पुरालेखपाल और इतिहासकार आम तौर पर अभिलेखागार को ऐसे रिकॉर्ड के रूप में समझते हैं जो स्वाभाविक रूप से और आवश्यक रूप से नियमित कानूनी, वाणिज्यिक, प्रशासनिक या सामाजिक गतिविधियों के उत्पाद के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उन्हें रूपक रूप से "किसी जीव के स्राव" के रूप में परिभाषित किया गया है, और उन दस्तावेजों से अलग हैं जो भावी पीढ़ी को किसी विशेष संदेश को संप्रेषित करने के लिए सचेत रूप से लिखे या बनाए गए हैं। सामान्य तौर पर, अभिलेखागार में ऐसे रिकॉर्ड शामिल होते हैं जिन्हें उनके स्थायी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या साक्ष्य मूल्य के आधार पर स्थायी या दीर्घकालिक संरक्षण के लिए चुना गया है। पुरालेख अभिलेख आम तौर पर अप्रकाशित होते हैं और लगभग हमेशा अद्वितीय होते हैं, किताबों या पत्रिकाओं के विपरीत, जिनकी कई समान प्रतियां मौजूद हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अभिलेखागार अपने कार्यों और संगठन के संबंध में पुस्तकालयों से काफी अलग हैं , हालांकि अभिलेखीय संग्रह अक्सर पुस्तकालय भवनों के भीतर पाए जा सकते हैं।

एक व्यक्ति जो लेखागार में काम करता है उसे पुरालेखपाल या ध्वनिलेखपाल कहा जाता है । अभिलेखों में जानकारी और सामग्रियों को व्यवस्थित करने, संरक्षित करने और उन तक पहुंच प्रदान करने के अध्ययन और अभ्यास को अभिलेखीय विज्ञान कहा जाता है ।

1. Craven Louise /What are Archives: Cultural and Theoretical Perspectives: a reader/

5:1:1 व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार की मर्यादायें

व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार की मर्यादायें के बारे में विचार करते समय, हमें इसकी महत्वपूर्ण योजनाओं और आवश्यकताओं को समझने की जरूरत होती है। यह संगीत की विभिन्नता, ऐतिहासिक मूल्य, और संस्कृतिक पारंपरिकता को संरक्षित रखने का काम करते हैं, लेकिन इनमें कुछ सीमाएं होती हैं जो इसकी प्रभावी प्रयोगिता को प्रभावित करती हैं। संग्रहण की सीमा, व्यक्तिगत संगीत आर्काइव्स के संग्रह को सीमित करती है। कुछ संगीत आर्काइव्स विशेष शैलियों, कलाकारों या समयों के संगीत को ही संग्रहित करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट विषयों के लिए उपलब्धता की सीमा होती है। बहुत सारे संगीत आर्काइव्स को नवीनतम संगीत को अपडेट करने और संबद्ध करने में समस्या होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को नवीनतम संगीत तक पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है।

संरक्षण की समस्याएं, अक्सर संगीत आर्काइव्स को संरक्षित रखने और उनकी देखभाल की समस्याओं के संबंध में होती है। संगीत और अन्य संगीत संस्कृति के वास्तविक अभिन्नता को संरक्षित रखने की योजनाओं को संचित करना संगीत आर्काइव्स के लिए मुश्किल हो सकता है। अद्यतन संगीत आर्काइव्स की पहुंच की समस्याओं से संबंधित है। कुछ लोग संगीत आर्काइव्स तक पहुंच पाने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की सीमा,अर्थात कुछ आर्काइव्स केवल एक निश्चित भाषा या संस्कृति के संगीत को ही संग्रहित करते हैं, जिससे अन्य संगीत संस्कृतियों के लोगों को उनका उपयोग करने में मुश्किल हो सकती हैं। अंतिम रूप से, यह सीमाएं व्यक्तिगत संगीत आर्काइव्स के महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनकी प्रभावी प्रयोगिता को प्रभावित कर सकती हैं, और इस प्रकार उनके संगीतीय धरोहर को संरक्षित रखने की क्षमता को कम कर सकती हैं। इसलिए, संगीत आर्काइव्स की मर्यादायें को समझकर उन्हें हल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार की मर्यादायें स्वयं से अपने निजी स्थान तक ही सीमित रहती है इसका लाभ व्यक्ति से जुड़े लोगो को ही मिल पता है, यह सार्वजनिक रूप नहीं ले सकता' संग्रह ' शब्द को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि इसका उपयोग संदर्भ के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है: वस्तुओं का संग्रह जो किसी व्यक्ति या संस्था की गतिविधियों का साक्ष्य बनता है।

मानव स्वभाव अपने अस्तित्व को लेकर सदैव कार्यशील हैं। वह अपनी रूचि के अनुसार एक शौख रखता हैं। जिससे वह अपने आप को तृप्तता की अनुभूति देता हैं अर्थात अपने जीवन को सार्थक करने में प्रयत्नशील रहता हैं।

सामान्यतः व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार एक शौकिया रूप से बना हुआ ध्वनिलेखागार हैं। किसी संगीत प्रेमी द्वारा अपने निजी रस के अनुसार किसी एक प्रकार के घराने, गायक या विधा के लिए विशेष प्रेम होने से एक सम्पूर्ण समर्पित रूप से उनके ध्वनिमुद्रण को एकत्रित करने से निर्मित हुआ एक अभिलेखागार हैं। इस प्रकार के ध्वनिलेखागार के मालिक वह स्वयं होते हैं। उन ध्वनिमुद्रणों को वह अपने तरीके से अपनी ही निर्मित की हुई पद्धतियों से संझोए रखते हैं और समय-समय पर उनका आनंद लेते हैं एवं उनके मित्र समुदायों को उनका आस्वाद और अपने व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार के बारे में अवगत कराते रहते हैं।

दूनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने ही निजी आनंद के लिए अपने रस के विषय पर शोध करके और अपने ही आर्थिक प्रयोजन से अनेक कलाकृतिओं को संगृहीत और संरक्षित किया हैं। जैसे उन्होने अपना पूर्ण जीवन उन कलाकृतियों को एकत्रित, संरक्षित एवं प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित कर लिया हों,

भारत वर्ष में भारतीय संस्कृति के समर्पित रसिको ने यह कार्य भी अद्‌भूत रूप से किया हैं। एक संगीत साधक अपनी बाल्यावस्था से लेकर पूर्ण रूप से समर्थ कलाकार होने की विभिन्न अवस्थाओ में अपने गुरु, गुरु परंपरा के अन्य तमाम दिग्गज कलाकार और अन्य जिन जिन कलाकारो से बेहद प्रेरित होते हैं, वह सभी कलाकारों के ध्वनिमुद्रण को अपनी अध्ययन-अध्यापन प्रणाली के रूप में या प्रेरणा के स्रोत के रूप में संगृहीत करता हैं। जिसमे वह अपनी सांगीतिक परंपरा के इतिहास से लेकर प्रवर्तमान समय में वह परंपरा का प्रवाह का अभ्यास कर सके ऐसा स्वयं के लिए एक संगृह तैयार करता हैं। अपनी परंपरा के कलाकारो के विचार, विशिष्टता, साक्षात्कार, अनुभव, प्रवर्तमान स्वरूप इत्यादि अनेक विषय पर गहन अध्ययन कर सके एसी व्यवस्था खुद के लिए संभव करता हैं। वह ध्वनिमुद्रणों को सुनकर विविध प्रकार से अपनी समझ को बढ़ा भी सकते हैं, और एक रूप भी दे सकते हैं। वही स्वयं के लिए कि गई व्यवस्था समय के प्रवाह के साथ दूर्लभ संगृह का रूप ले लेती हैं। जो केवल सांगीतिक ग्रंथालय न रहकर, सांगीतिक ध्वनिलेखागार बन जाती हैं। जो व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार का प्रकार हैं।

व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली संपूर्णतः व्यक्ति निर्मित होती हैं। जिसमे कोई व्यवस्थित रूप हो यह निश्चित नहीं है। व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार में रसिक, कलाकार, ध्वनिलेखपाल द्वारा व्यक्तिगत बौद्धिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार ध्वनिमुद्रणों का संगृह और संरक्षण किया जाता हैं। कार्यप्रणाली पर व्यक्ति की सांगीतिक सूझ-बूझ, व्यक्तिगत स्वभाव और आर्थिक क्षमता का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता हैं। व्यक्ति आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो वह इस कार्य के लिए संबंधित तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ की सहायता लेकर ध्वनिलेखागार को एक अत्याधुनिक रूप दे सकते हैं। कालक्रम अनुसार तत्कालीन तकनीकी पद्धतियों से संगृहीत ध्वनिमुद्रणों का प्रवर्तमान आधुनिक समय का डिजिटाइज्ड फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हैं या

फिर वैसे का वैसा संभालकर रख सकते हैं। व्यक्ति स्वयं सांगीतिक रूप से विषय का ज्ञान रखता हो तो वह अपनी निजी शैली विकसित कर सकता हैं अथवा अपने संगीत क्षेत्र से जुड़े मित्र, स्नेही या विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। यह प्रकार के ध्वनिलेखागार सामान्यतः अपने ही घर में या किसी अपने अंगत स्थान पर बनाए गए होते हैं इसलिए यह ध्वनिलेखागार का प्रचार-प्रसार भी व्यक्ति के निजी स्नेही या मित्र मण्डल तक सीमित रहता हैं। यह सार्वजनिक रूप नहीं ले सकता क्योंकि इस में अनजान लोगो को लाभान्वित होने की अनुमति नहीं होती।

व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार अपनी मर्यादाए एवं कालक्रम के अनुसार उस व्यक्ति के रस-रूचि में होते बदलाव भी ऐसे व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार पर असरकर्ता हैं। यदि उस व्यक्ति की आयु इतनी बढ़ चूंकी हो और वह स्वयं उनके ध्वनिलेखागार पर कार्य करने में सामर्थ्यवान न हो ऐसे किस्से में वह ध्वनिलेखागार के निभाव के लिए अन्य लोगों पर आश्रित रहते हैं। व्यक्ति को उनके विचार के अनुरूप वह ध्वनिलेखागार का उत्तरदायित्व किसी संरक्षित हाथों में सोंपने का योग्य मार्ग न मिले तो वह अपना किया सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक ध्वनिलेखागार को समर्पित कर देते हैं। जहा वो अपनी शर्ते भी रख सकते हैं। ध्वनिलेखागार सामान्यतः अपने ही घर में या किसी अपने निजी स्थान तक सीमित रहते है।

व्यक्तिगत संगीत आर्काइव्स की सीमाओं का मूल्यांकन करते समय, हमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का अवसर मिलता है। यह सीमाएं संगीतीय धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण में मुश्किलाएँ पैदा कर सकती हैं, लेकिन इन्हें उपेक्षा नहीं किया जा सकता। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि व्यक्तिगत संगीत आर्काइव्स के लिए समय-समय पर अद्यतन योजनाओं की आवश्यकता है ताकि नए संगीत को संग्रहित किया जा सके और उपयोगकर्ताओं को सुगमता से पहुंच मिल सके। साथ ही, संगीत आर्काइव्स की पहुंच को बढ़ाने और सामाजिक और सांस्कृतिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अतः, हमें यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि संगीत आर्काइव्स को समृद्ध, विशाल और समान रूप से पहुंचयोग्य बनाने के लिए हमें सीमाओं को पहचानने और समाधान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे न केवल संगीतीय धरोहर की सुरक्षा होगी, बल्कि इससे समाज के सभी वर्गों को समृद्ध और विशाल संगीतीय अनुभव का अधिक उपयोग करने का भी अवसर मिलेगा।

5:1:2 सार्वजनिक ध्वनिलेखागार की मर्यादायें-

सार्वजनिक संगीत संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ संगीत से जुड़े विभिन्न प्रकार के ध्वनिमुद्रण, ध्वनिलेख, और संगीत रिकॉर्डिंग्स संग्रहित किए जाते हैं। ये संग्रहालय आमतौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले होते हैं ताकि संगीत प्रेमियों को विभिन्न संगीत कला और शैलियों का अध्ययन करने और संगीत से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इन संग्रहालयों में विभिन्न संगीतीय संरचनाएँ, इतिहास, कला, संगीत शैलियों की रिकॉर्डिंग्स, संगीत नोट्स, और लेखिकाएं संग्रहित होती हैं। ये संग्रहालय भारतीय संगीतीय विरासत को संजोने और समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संगीत के इतिहास, परंपरा, और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन संग्रहालयों का मुख्य उद्देश्य संगीत के प्रेमियों को संगीत की विविधता और समृद्धता का अनुभव कराना और संगीत के महत्व को बढ़ावा देना होता है।

सार्वजनिक ध्वनिलेखागार की मर्यादाएं संगीत और ध्वनि संबंधित अद्वितीय और महत्वपूर्ण संसाधन होती हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना इन संग्रहालयों के लिए आवश्यक होता है ताकि संगीत की समृद्धता और संरक्षण का सही धारावाहिक रूप से हो सके।

संरक्षण और सुरक्षा- संग्रहालय में संगीत संबंधित सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए उचित सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपयोगकर्ता सेवा- संग्रहालय का उपयोगकर्ताओं की सेवा में समर्पित होना चाहिए, ताकि वे संगीत सामग्री का अध्ययन कर सकें और उसका उपयोग कर सकें।

संरचना और व्यवस्था- संग्रहालय में संगीत सामग्री को व्यवस्थित और संरचित ढंग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं को आसानी से उसका पहुँच मिल सके।

संदर्भ और प्रासंगिकता- संग्रहालय में संगीत सामग्री का विशेष संदर्भ और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए।

डिजिटलीकरण- ध्वनिलेखागार को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए संग्रहालय को अपनी सामग्री का डिजिटलीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

संग्रहालय के उद्देश्यों का पालन- संग्रहालय को अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, जैसे कि संगीतीय विरासत के संरक्षण, शिक्षा, और प्रसार।

सार्वजनिक ध्वनिलेखागार की इन मर्यादाओं का पालन करना संग्रहालय को संगीतीय संरचना को समृद्ध बनाए रखने में सहायक होता है। यह भारतीय संगीतीय विरासत को सुरक्षित रखने और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सार्वजनिक ध्वनिलेखागार मुख्यतः तीन प्रकारो में विभाजित किए जा सकते हैं। इसी विभाजन के अनुसार सार्वजनिक ध्वनिलेखागार की मर्यादाओं को देखा जा सकता है।

- विश्वविद्यालय के ध्वनिलेखागार भारत के अनेक विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स और पर्फोर्मिंग आर्ट्स कॉलेज में विद्यार्थीओ के अध्ययन-अध्यापन प्रणाली के लिए एक ग्रंथालय और ध्वनिलेखागार की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती हैं।
- संस्थाकीय/ ट्रस्ट संचालित ध्वनिलेखागार विश्वविद्यालय में निर्मित किए गए ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली विश्वविद्यालय के नियमोनुसार तय की जाती हैं।
- सरकार हस्तक के ध्वनिलेखागार भारत सरकार के अनेक कार्यालय संस्कृति के जतन के लिए कार्यरत हैं, जिसमे मुख्यतः ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, प्रसारभारती, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ही अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडियो-विज्युयल अभिलेखागार(एनसीएए) इत्यादि।

ऑल इंडिया रेडियो- ऑल इंडिया रेडियो के साउंड आर्काइव को देश का राष्ट्रीय ऑडियो आर्काइव कहा जा सकता है क्योंकि यह 17,000 घंटों से अधिक की बहुमूल्य रिकॉर्डिंग का खजाना है जिसमें विभिन्न श्रेणियों में संगीत और बोले गए शब्द रिकॉर्डिंग शामिल हैं। यह भारतीय संगीत रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। पुस्तकालय में महात्मा गांधी के भाषणों का एक अलग संग्रह संरक्षित है, जिसमें क्रमशः 11 मई 1947 को सोडेपुर आश्रम, कलकत्ता और 29 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस, दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए महात्मा गांधी के पहले और आखिरी प्रार्थना भाषण शामिल हैं।

12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी दिल्ली से गांधीजी द्वारा किया गया एकमात्र प्रसारण भी संरक्षित है। पुस्तकालय में भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के भाषणों की रिकॉर्डिंग शामिल है।

रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. बीआर अंबेडकर, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू आदि जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों की अन्य महत्वपूर्ण आवाज रिकॉर्डिंग भी संरक्षित की गई हैं। इसके अलावा पुस्तकालय में पुरस्कार विजेता रेडियो नाटक, फीचर, वृत्तचित्र आदि और स्मारक व्याख्यान उपलब्ध हैं।

आकाशवाणी अभिलेखागार रेडियो आत्मकथाओं का भंडार है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों की लंबी अवधि की रिकॉर्डिंग हैं। ऐसी शख्सियतों की पहचान आकाशवाणी केंद्रों द्वारा की जाती है और उन्हें

रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग को संरक्षण और भावी पीढ़ी के लिए केंद्रीय अभिलेखागार में भेज दिया जाता है।

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों के बीच उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना है। पीईयू पुस्तकालय में इस उद्देश्य के लिए संगीत और बोले गए शब्द कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग वाले लगभग 8000 टेप संरक्षित हैं।

पुस्तकालय ने बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल और तेलुगु में प्रसारित होने वाले भाषा पाठों को भी संरक्षित किया है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा सार्वजनिक समारोहों में दिए गए सभी भाषणों को रिकॉर्ड करना आकाशवाणी केंद्रों के लिए अनिवार्य है। भाषणों की रिकॉर्डिंग वाले टेप विभिन्न संबंधित आकाशवाणी स्टेशनों से प्राप्त होते हैं। इस इकाई का एक मुख्य कार्य इन रिकॉर्डिंग्स को लिपिबद्ध करना और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बाध्य खंडों के रूप में संरक्षित करना है।

अभिलेखागार में संरक्षित पुरानी रिकार्डिंग समय बीतने के साथ शोर भरी हो जाती हैं। टेपों का नवीनीकरण करके शोर को दूर किया जाता है। अभिलेखागार में पुरानी संगीत रिकॉर्डिंग को नवीनीकृत करने के लिए, कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इकाई की स्थापना की गई थी। यहां महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि के संगीत, आवाज की सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग का नवीनीकरण किया गया। यह इकाई आकाशवाणी द्वारा जारी की जाने वाली अभिलेखीय रिकॉर्डिंग की ऑडियो गुणवत्ता का ख्याल रखती है। 2001 में सभी अभिलेखीय रिकॉर्डिंग को डिजिटल बनाने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई थी। इस समय तक आकाशवाणी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप आधुनिक टेप नंबरिंग प्रणाली के साथ प्रसारण नेटवर्क में प्रमुख डिजिटल पुस्तकालयों में से एक बन गया है।

अप्रैल 2003 से ऑल इंडिया रेडियो सेंट्रल आर्काइव 'आकाशवाणी संगीत' के बैनर तले संगीत एल्बम जारी कर रहा है। जारी किए गए 66 एल्बम नीचे सूचीबद्ध हैं। इन रिलीज़ों का विपणन मुख्य रूप से आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा इन-हाउस किया जाता है।[1]

आज के आधुनिक युग में, जब प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, विशेषकर संगीत और ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में, यह जानकर हैरानी होती है कि हमारे संगीत की सबसे पुरानी रिकॉर्डिंग को मोम के सिलेंडरों, ग्रामोफोन शेलैक से सुनना (78 आरपीएम) और विनाइल एलपी जब तक किसी के पास आवश्यक प्लेयर न हो, लगभग असंभव है। इनमें से बहुत सी दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स, जो हमारे

1. https://prasarbharati.gov.in/air-archive/

पूर्वजों की आवाज़ों को कैद करती हैं, चिंताजनक रूप से तेजी से ख़त्म हो रही हैं। इन अभिलेखों का डिजिटलीकरण, भावी पीढ़ी के लिए इस संगीत का संरक्षण और उन्हें संगीतकारों, शोधकर्ताओं, संगीत के छात्रों और इच्छुक जनता के लिए आसानी से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना समय की मांग है। इस पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्काइव ऑफ इंडियन म्यूजिक (एआईएम) को एक निजी और गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है जो ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने और उन्हें वापस प्रचलन में लाने में मदद कर सकता है।

एआईएम का अंतिम लक्ष्य भारतीय संगीत का एक विश्व स्तरीय संग्रह बनाना है जो तकनीकी रूप से दुनिया भर के अभिलेखागार के बराबर हो और ध्वनि रिकॉर्डिंग और संरक्षण क्षमता के मामले में कक्षा में सर्वश्रेष्ठ हो। एआईएम का लक्ष्य इस क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करना और शैक्षिक संस्थानों, संगीत संगठनों और संग्रह और संरक्षण में शामिल और रुचि रखने वाले अन्य निकायों के साथ साझेदारी बनाना भी है।

ऑल इंडिया रेडियो के उद्देश्य-

- रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ और पुनर्स्थापित करना और उच्च गुणवत्ता और उच्च निष्ठा रिकॉर्डिंग का एक डेटाबेस बनाना
- इन पुरानी रिकॉर्डिंग्स को संरक्षित करना और उन्हें छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं, संगीतकारों और इच्छुक जनता को सुनने के लिए उपलब्ध कराना
- कलाकारों की जीवनी संबंधी विवरण, तस्वीरें, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आस्तीन की छवियां और ऐतिहासिक महत्व की अन्य सामग्री जो रिकॉर्ड के युग का दस्तावेजीकरण करती हैं, सहित उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करके इन रिकॉर्डिंग को समृद्ध करना।

भारतीय संगीत संग्रह एक निजी गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)

डिजिटल संगीत अभिलेखागार और पुस्तकालय TAG ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के सहयोग से, जिसने मद्रास संगीत अकादमी में पुराने संगीत का एक विशाल डिजिटल श्रवण संग्रह स्थापित किया है, IGNCA दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र ने एक ऑडियो-विज़ुअल अभिलेखीय केंद्र स्थापित किया है। श। TAG कॉर्पोरेशन के एमडी आरटी चारी, जिन्होंने चेन्नई में TAG संगीत अकादमी अभिलेखागार की स्थापना की है, ने अपने व्यक्तिगत संग्रह से 1930 के दशक से कर्नाटक संगीत की लगभग 1000 घंटे की रिकॉर्डिंग दान की है, जिन्हें श्रमसाध्य रूप से सूचीबद्ध और डिजिटलीकृत किया गया है।

चेम्बई वैद्यनाथ भागवतर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, डीके पट्टम्मल, केवी नारायणस्वामी, अलाथुर ब्रदर्स, सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर, एमडी रामनाथन और अन्य सहित कई कलाकार इस संग्रह में हाल के कलाकारों के रूप में शामिल हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के प्रतीकों को दर्शाने वाली मूल्यवान पेंटिंग और दीवार-से-दीवार भित्ति चित्र भी बनाए, जिनमें श्री की एक पेंटिंग भी शामिल है। एस राजम जो अब हमारे अभिलेखीय केंद्र कक्ष को सुशोभित करता है।[1]

संग्रह में आर्काइव ऑफ इंडियन म्यूजिक (एआईएम) की ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग भी हैं। विक्रम संवत. इनमें 1902 से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, लोक संगीत, फिल्में और नाटकों में ग्रामोफोन डिस्क पर रिकॉर्डिंग शामिल हैं। गौहर जान, पेरा साहब, मौजुद्दीन, केसरबाई केरकर, अरियाकुडी रामानुज अयंगर, सलेम गोदावरी, बिदाराम कृष्णप्पा, वीने शेषन्ना, मैसूर पैलेस ऑर्केस्ट्रा, बाल गंधर्व, इंदु बाला, केएल सहगल, कलिंगा राव, अश्वथम्मा, गांधीजी, टैगोर के भाषण जैसे कई कलाकार , सुभाष बोस आदि इस संग्रह का हिस्सा हैं। TAG अभिलेखागार और AIM संग्रह के बीच, हमारे देश के संगीत इतिहास का एक बड़ा हिस्सा 1902 से नवीनतम समय तक डिजिटल प्रारूप में कैद किया गया है। श्री चारी ने आईजीएनसीए को विशेष उपयोगकर्ता-अनुकूल सॉफ्टवेयर विकसित करने में मदद की, जो उपयोगकर्ताओं को राग, संगीतकार का नाम, शैली, कलाकार आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर गीत का चयन करने और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें सुनने की अनुमति देता है। एसआरसी ने लोगों की पहुंच के लिए इस संग्रह में आईजीएनसीए के सांस्कृतिक वृत्तचित्रों और पिछले कार्यक्रमों के संपूर्ण दृश्य भंडार को भी जोड़ा है। हालाँकि, इनमें से कई में कॉपीराइट मुद्दों के कारण, संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन लोग केंद्र में आ सकते हैं और हेड फोन के साथ श्रवण कियोस्क पर इसे पूरी तरह से मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं।

(IGNCA) लक्ष्य एवं उद्देश्य

- कला, विशेष रूप से लिखित, मौखिक और दृश्य स्रोत सामग्री के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना।
- कला और मानविकी से संबंधित संदर्भ कार्यों, शब्दावलियों, शब्दकोशों और विश्वकोश के अनुसंधान और प्रकाशन कार्यक्रम शुरू करना ।
- व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन आयोजित करने और लाइव प्रस्तुतियों के लिए एक मुख्य संग्रह के साथ एक आदिवासी और लोक कला प्रभाग की स्थापना करना।

1. https://ignca.gov.in

- पारंपरिक और समसामयिक विविध कलाओं के बीच प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों, मल्टी-मीडिया प्रक्षेपणों, सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना।
- आधुनिक विज्ञान और कला और संस्कृति के बीच बौद्धिक समझ में अंतर को पाटने की दृष्टि से, दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कला और वर्तमान विचारों के बीच संवाद को बढ़ावा देना
- भारतीय लोकाचार के लिए अधिक प्रासंगिक अनुसंधान कार्यक्रमों और कला प्रशासन के मॉडल विकसित करना
- विविध सामाजिक स्तरों, समुदायों और क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया के जटिल जाल में रचनात्मक और गतिशील कारकों को स्पष्ट करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ नेटवर्क को बढ़ावा देना; और कला, मानविकी और संस्कृति में संबंधित अनुसंधान करना।

क्लासिकल आर्काइव्स- क्लासिकल आर्काइव्स दुनिया की सबसे अच्छी क्यूरेटेड (और सबसे पुरानी) शास्त्रीय संगीत साइट है। शास्त्रीय संगीत MIDI फ़ाइलों का सबसे व्यापक संग्रह पेश करने के लिए, वेब की प्रारंभिक अवस्था के दौरान, 1994 में इस साइट का उद्घाटन किया गया था। हमने 2001 में लाइव रिकॉर्डिंग जोड़ी और तब से इसमें वृद्धि जारी है। जैसा कि आप उपरोक्त आँकड़ों से देख सकते हैं, अब हमारे पास 690 से अधिक लेबलों से 1,000,000 से अधिक ट्रैक हैं। ये रिकॉर्डिंग्स करीब 20,000 संगीतकारों के कार्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साइट को नए रिलीज़ किए गए एल्बमों के साथ साप्ताहिक रूप से ताज़ा किया जाता है, जिससे हमारे संगीतविद् सावधानीपूर्वक चयनित अनुशंसाओं की एक सूची तैयार करते हैं।
शास्त्रीय अभिलेखागार की अनिवार्य विशेषता वह देखभाल है जिसके साथ सभी डेटा को ग्रहण किया जाता है, जांचा जाता है और क्रॉस-रेफ़र किया जाता है। [1]

5:2 निवारक उपाय-

निवारक संरक्षण

निवारक संरक्षण एक ऐसे वातावरण का निर्माण है जिसमें अभिलेखीय सामग्रियों के लिए हानिकारक कारक मौजूद नहीं हो सकते हैं। उचित वातावरण का नियंत्रण, शेल्फिंग और हैंडलिंग प्रथाएं आदि बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो अभिलेखीय सामग्रियों के निवारक संरक्षण उपायों के रूप में आवश्यक हैं।

1. https://www.classicalarchives.com

सार्वजनिक रिकॉर्ड, अधिनियम और नियमों के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि के रिकॉर्ड और, स्थायी रिकॉर्ड 25 वर्षों की अवधि के बाद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। धूल हटाने के लिए एयर क्लीनिंग यूनिट से जुड़े एयर कंप्रेसर का उपयोग करके दस्तावेजों को साफ किया जाता है। इसके बाद, रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी कीट से छुटकारा पाने के लिए कार्बन-डाई-ऑक्साइड का उपयोग करके वैक्यूम फ्यूमिगेशन कक्ष की मदद से रिकॉर्ड का धूमन किया जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दस्तावेजों को रिपॉजिटरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। थायमोल और पैरा डी क्लोरो बेंजीन आदि जैसे रसायनों की मदद से पोर्टेबल धूमन कक्षों का उपयोग करके अभिलेखों का धूमन भी किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का संरक्षण प्रभाग इस प्रकार अभिलेखों से पहले प्रारंभिक कदम के रूप में धूल और कीटों को हटाना सुनिश्चित करता है। स्टैक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ध्वनिलेखागारों को संगीतीय धरोहर को संरक्षित रखने के लिए कई निवारक उपाय हैं। नवीनतम तकनीकी उन्नति का प्रयोग किया जा सकता है ताकि संग्रह की सामग्री को अधिक सुरक्षित और सुगम तरीके से संग्रहित किया जा सके। इसके लिए, डिजिटली संग्रहित सामग्री के लिए नेटवर्क और सर्वर का उपयोग किया जा सकता है। ध्वनिलेखागारों में सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी सुरक्षा के साधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अनधिकृत उपयोग से सामग्री को सुरक्षित रखा जा सके। संगीत संग्रहालयों को सार्वजनिक पहुंच के लिए खोला जा सकता है ताकि लोग संगीत की धरोहर को सीधे अनुभव कर सकें और अपनी संगीत शैलियों को विकसित कर सकें। सार्वजनिक ध्वनिलेखागारों को संगीत शैलियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाया जा सकता है, ताकि अनुसंधानकर्ता और शिक्षक उच्चतम शैलियों को संग्रहित सामग्री का उपयोग कर सकें। इन निवारक उपायों के साथ, संगीतीय धरोहर को संरक्षित रखने के लिए ध्वनिलेखागारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक है। सार्वजनिक ध्वनिलेखागार के निवारक संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग है जो संगीतीय ध्वनि संबंधित सामग्री की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ध्वनिलेखागार के निवारक संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं

सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था- सार्वजनिक ध्वनिलेखागार के निवारक संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य सामग्री की सुरक्षा है। इसके लिए उचित सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाती है जैसे कि CCTV कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति आदि।

मूल्यवान सामग्री की संरक्षण-ध्वनिलेखागार में रखी जाने वाली मूल्यवान सामग्री की संरक्षण होना आवश्यक होता है। इसे ठीक से संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

आग और अपघात से सुरक्षा- सामग्री को आग और अपघात से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इससे सामग्री का नुकसान होने से बचा जाता है।

संग्रहालय के नियमों का पालन- संग्रहालय में सामग्री की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन किया जाता है। यह नियम संग्रहालय की प्रशासनिक नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार होते हैं।

सामग्री की जाँच और देखभाल- सामग्री की नियमित जाँच और देखभाल के लिए स्थापित प्रक्रियाएं होती हैं ताकि उसका दुरुपयोग न हो और वह स्थिति में बनी रहे।

सार्वजनिक ध्वनिलेखागार के निवारक संरक्षण के माध्यम से, संगीत संबंधित समृद्ध सामग्री की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी दी जाती है जो आने वाली पीढ़ियों को इस मौलिक धन का आनंद लेने में मदद करती है। अभिलेखों के संरक्षण के उपचारात्मक पहलू में स्थायी मूल्य के भंगुर, भंगुर और अम्लीय अभिलेखों का उपचार शामिल है ताकि डी-अम्लीकरण नामक प्रक्रिया का उपयोग करके इस विभाग में संग्रहीत दस्तावेजी विरासत की गिरावट को कम किया जा सके। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों में मौजूद अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय रसायनों का उपयोग शामिल है। इसे जलीय डी-अम्लीकरण तकनीक कहा जाता है और अम्लता को दूर करने और अभिलेखों को मजबूत करने के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि ऐतिहासिक मूल्य के दस्तावेजों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जा सके। जो दस्तावेज़ पानी में घुलनशील स्याही पर लिखे जाते हैं, उन्हें गैर-जलीय विधि का उपयोग करके डी-अम्लीकृत किया जाता है। [1]

अभिलेखों की भौतिक सुरक्षा मुख्य रूप से भंडारण वातावरण, सामग्री की हैंडलिंग, सर्विसिंग और आग के खतरों, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदाओं आदि से उनकी सुरक्षा के लिए अपनाए गए कदमों पर निर्भर है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्टैक क्षेत्र स्थित है मुख्य और उपभवन भवन और अभिलेखों की प्रकृति को सार्वजनिक अभिलेख, कार्टोग्राफिक अभिलेख, विभागीय अभिलेख, निजी कागजात, ओरिएंटल अभिलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में रिकॉर्ड होल्डिंग्स 40 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। लिनियन शेल्फ-स्पेस और नियमित श्रृंखला वर्ष 1748 से शुरू होती है। रिकॉर्ड को आदर्श भंडारण वातावरण में संग्रहीत किया जाता है और रिकॉर्ड के लिए उपयुक्त इष्टतम सीमा के भीतर तापमान और सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का चौबीसों घंटे संचालन प्रदान किया जाता है।

---

1. दासगुप्ता, अभिजित आर्काइव संग्रहालय और उनका प्रबंधन" पृष्ठ 89

जो रिकॉर्ड फाइलों, पुस्तकों, खंडों, दुर्लभ पांडुलिपियों, मानचित्रों और संधियों के रूप में हैं, उन्हें अभिलेखीय मानकों के अनुसार स्टील अलमारियों, कार्टन बक्से, प्लाईबोर्ड और कॉम्पेक्टर सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है। स्टैक क्षेत्र को अत्याधुनिक अग्नि रोकथाम और अग्निशमन प्रणाली प्रदान की गई है

कर्तव्य और कार्य वातावरण-

पुरालेखपालों के कर्तव्यों में नए संग्रह प्राप्त करना और उनका मूल्यांकन करना , अभिलेखों को व्यवस्थित करना और उनका वर्णन करना, संदर्भ सेवा प्रदान करना और सामग्रियों को संरक्षित करना शामिल है। अभिलेखों को व्यवस्थित करने में, पुरालेखपाल दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करते हैं: उत्पत्ति और मूल क्रम । उद्गम का तात्पर्य अभिलेखों के निर्माण और संदर्भ को बनाए रखने के लिए विभिन्न अभिलेखों को अलग रखने से है। कई संस्थाएँ रिकॉर्ड बनाती हैं, जिनमें सरकारें, व्यवसाय, विश्वविद्यालय और व्यक्ति शामिल हैं। मूल आदेश को रचनाकारों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित क्रम में रिकॉर्ड रखकर लागू किया जाता है। उद्गम और मूल क्रम दोनों ही रिस्पेक्ट डेस फोंड्स की अवधारणा से निकटता से संबंधित हैं , जिसमें कहा गया है कि एक कॉर्पोरेट निकाय के रिकॉर्ड को दूसरे कॉर्पोरेट निकाय के रिकॉर्ड के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। व्यवस्था के दो पहलू हैं: बौद्धिक और भौतिक, दोनों पहलू मूल क्रम के सिद्धांत का पालन करते हैं। पुरालेखपाल अभिलेखों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एसिड-मुक्त फ़ोल्डरों और बक्सों में रखकर भौतिक रूप से संसाधित करते हैं।

वे अभिलेखों को बौद्धिक रूप से भी संसाधित करते हैं, यह निर्धारित करके कि अभिलेखों में क्या शामिल है, वे कैसे व्यवस्थित हैं, और क्या, यदि कोई हो, खोजने में सहायक सामग्री बनाने की आवश्यकता है। सहायक सामग्री ढूँढने में बॉक्स सूचियाँ या वर्णनात्मक सूची, या अनुक्रमणिकाएँ हो सकती हैं।[1] भले ही मूल व्यवस्था अस्पष्ट या संग्रह तक पहुँचने के मामले में अनुपयोगी हो, इसे शायद ही कभी किसी ऐसी चीज़ में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है जो अधिक समझ में आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल क्रम को संरक्षित करने से पता चलता है कि रिकॉर्ड के निर्माता ने कैसे कार्य किया, रिकॉर्ड क्यों बनाए गए, और उन्होंने उन्हें कैसे व्यवस्थित किया। इसके अलावा, अभिलेखों की उत्पत्ति और प्रामाणिकता खो सकती है।

हालाँकि, मूल क्रम हमेशा कुछ संग्रहों को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है और पुरालेखपालों को मिश्रित मीडिया या स्पष्ट मूल व्यवस्था की कमी वाले संग्रहों को संरक्षित करने का सही तरीका निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के अनुभव और वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करना

1. Smiraglia, Richard P./Introduction to Archival Organization and Description/ Page 67

चाहिए पुरालेखपालों के काम में नैतिक निर्णयों की एक श्रृंखला शामिल है जिन्हें तीन व्यापक और परस्पर जुड़े क्षेत्रों में माना जा सकता है: कानूनी आवश्यकताएं; पेशेवर मानक; और दस्तावेजी सामग्रियों के चयन और संरक्षण में समाज के प्रति जवाबदेही जो ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करती है, और सामूहिक स्मृति और पहचान को प्रभावित करती है।

अपने काम में उत्पन्न होने वाले नैतिक संघर्षों पर बातचीत करने में, पुरालेखपालों को आचार संहिता द्वारा निर्देशित किया जाता है। सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट्स ने पहली बार 1980 में आचार संहिता को अपनाया; इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ने 1996 में इसे अपनाया।

संग्रह की व्यवस्था करने और उसकी देखभाल करने के अपने काम के साथ-साथ, पुरालेखपाल सामग्री की व्याख्या करने और पूछताछ का उत्तर देने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। यह संदर्भ कार्य एक छोटे संगठन में एक पुरालेखपाल की नौकरी का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, या एक बड़े संग्रह में उनके अधिकांश व्यवसाय को शामिल कर सकता है जहां विशिष्ट भूमिकाएं जैसे प्रसंस्करण पुरालेखपाल और संदर्भ पुरालेखपाल को चित्रित किया जा सकता है।

पुरालेखपाल विभिन्न प्रकार के संगठनों के लिए काम करते हैं, जिनमें सरकारी एजेंसियां , स्थानीय प्राधिकरण , संग्रहालय, अस्पताल, ऐतिहासिक समाज, व्यवसाय, दान, निगम, कॉलेज और विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय उद्यान और ऐतिहासिक स्थल और कोई भी संस्थान शामिल हैं जिनके रिकॉर्ड संभावित रूप से शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। प्रदर्शक, वंशावलीज्ञ , या अन्य, वे एक बड़े परिवार या यहां तक कि एक व्यक्ति के संग्रह पर भी काम कर सकते हैं ।

पुरालेखपाल अक्सर शिक्षक भी होते हैं, किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में कार्यरत पुरालेखपाल के लिए उनके संग्रह से संबंधित विषय पर व्याख्यान देना असामान्य नहीं है। सांस्कृतिक संस्थानों या स्थानीय सरकार के लिए कार्यरत पुरालेखपाल अक्सर संग्रह उपयोगकर्ताओं की उनके संग्रह में जानकारी को समझने और उन तक पहुंचने की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक या आउटरीच कार्यक्रम डिजाइन करते हैं। इसमें प्रदर्शनियाँ , प्रचार कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता यहाँ तक कि मीडिया कवरेज जैसी विविध गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं ।

एनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन (ईएडी) के आगमन के साथ-साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्रियों की बढ़ती मांग के कारण, पिछले दशक में पुरालेखपालों को अधिक तकनीक-प्रेमी बनने की आवश्यकता हुई है। कई पुरालेखपाल अब शोधकर्ताओं को अपनी खोज सहायता ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी कौशल प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों और कार्य परिवेशों में कार्य की विविध प्रकृति के

कारण, पुरालेखपालों के पास व्यापक प्रकार के कौशल होने की आवश्यकता होती है, जो लोग संदर्भ और पहुंच-उन्मुख पदों पर काम करते हैं, उनके पास संरक्षकों को उनके शोध में मदद करने के लिए अच्छे ग्राहक सेवा कौशल होने चाहिए। सांस्कृतिक कलाकृतियों के जीवन को बढ़ाने में मदद के लिए संरक्षण का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है। कई प्रकार के मीडिया जैसे- फोटोग्राफ, अम्लीय कागजात और अस्थिर प्रतिलिपि प्रक्रिया अगर ठीक से संग्रहीत और रखरखाव न किए जाएं तो खराब हो सकते हैं। [1]

हालाँकि कई अभिलेखीय संग्रहों में केवल कागजी रिकॉर्ड शामिल हैं, तेजी से बढ़ रहे पुरालेखपालों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है , इसलिए उन्हें दूरदर्शी और तकनीकी रूप से कुशल होने की आवश्यकता है।

उच्च स्तरीय कम्प्यूटराइज़ संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके संगीतीय धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न देशों के ध्वनिलेखागारों के बीच सहयोग और जानकारी का विनिमय करके संगीतीय धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। ध्वनिलेखागार की सुरक्षा और संरक्षण में मदद कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उपयोग करना। इससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही ध्वनिलेखागार की एक्सेस मिलती है और अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सकता है। सुरक्षा सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना, ये सॉफ़्टवेयर ध्वनिलेखागार की सामग्री को हैकिंग, वायरस, और अन्य संगीत अवैध उपयोग से बचाने में मदद कर सकते हैं। एक मजबूत सांगठनिक ढांचा और व्यवस्थित प्रबंधन प्रक्रिया का अनुसरण करके संगीतीय संग्रहालयों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। स्थानीय सामुदायिक संगठनों और संगीत प्रेमियों के साथ साझा कार्य करके संगीतीय धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करने के लिए, जिनका उपयोग संगीतीय संग्रहालयों को आपात स्थितियों में संरक्षित रखने में किया जा सकता है।

अद्यतन तकनीक का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। नवीनतम सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, ध्वनिलेखागार को सुरक्षित रखा जा सकता है और उसे सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।

आधुनिक साइबर सुरक्षा के तकनीकों का उपयोग करके संगीतीय धरोहर की साइबर सुरक्षा को सुधारा जा सकता है। जनता को संगीतीय धरोहर के महत्व के बारे में शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए जन

---

1. शर्मा, डॉ. विश्वनाथ "आर्काइव और प्रबंधन" पृष्ठ 56

संचार अभियान आयोजित किया जा सकता है। इन उपायों का संयोजन करके, संगीतीय धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए समृद्ध प्रयास किया जा सकता है। नियमित नियंत्रण और मॉनिटरिंग भी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। ध्वनिलेखागार की सामग्री को नियमित अंतराल पर जांचा और मॉनिटर किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचाना और संभाला जा सके। इन निवारक उपायों का उपयोग करके, ध्वनिलेखागार को संगीतीय धरोहर की सुरक्षा में मदद मिल सकती है, जिससे उसकी मूल्यवान सामग्री को सुरक्षित रखा जा सकता है।

*****